दिनांक 23.08.2019

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

उड़नदस्ता टीम की बड़ी कार्यवाही 67 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त

भिलाईनगर/ नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने आज जोन 02 वैशाली नगर एवं 03 मदर टेरेसा नगर के अंतर्गत आने वाले गोरखनाथ व्यवसायी सुभाष मार्केट से 66 किलो तथा केला व्यवसायी से 01 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखकर व्यवसाय करने पर एवं मक्कू टी स्टाल पर एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ रखने पर कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड वसूल किया और एक्सपायरी सामान जब्त कर विनिष्टीकरण किया साथ ही समझाईस दी गई कि इस तरह की हरकत दोबारा करते पाये जाने पर नगर निगम अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा सकती है जहां से प्रतिबंधित पालीथीन जब्त किया गया उस व्यवसायी के दुकान के सामने व्यवसायी ने यह पोस्टर लगाया था कि पालीथीन मांगकर शर्मिंदा न करें।

नगर पालिक निगम, भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने जोन 02 वैशाली नगर एवं 03 मदर टेरेसा नगर के अंतर्गत आने वाले होटल , रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों पर कार्यवाही की। जिसमें बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ, नालियों पर कचरा, सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि का जायजा लिया लिया गया तथा 14 प्रतिष्ठान से 17000 रुपये का दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही समझाईस दी गई की बिना लायसेंस संचालन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नगर पालिक अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी।

जनसम्पर्क अधिकारी